एन.के.एस.

एस.एस. संधावालिया, सी.जे. और आई.एस. तिवाना जे के समक्ष

जे. रूप चंद,-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी

1978 की सिविल रिट याचिका संख्या 182

2 अगस्त 1979

पंजाब सहकारी समिति अधिनियम (1961 का XXV) (हरियाणा राज्य में लागू) धारा 55-पंजाब सहकारी समितियाँ नियम, 1963-नियम 51 और 55-एक सहकारी समिति से संबंधित निधि-एक सदस्य द्वारा दुरुपयोग-इस तरह के दुरुपयोग के संबंध में एक सह-सदस्य-सहकारी समिति या उसकी ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई विवाद नहीं उठाया गया। -रजिस्ट्रार-क्या उसके पास ऐसे विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजने का अधिकार क्षेत्र है।

अधिकृत किया गया कि पंजाब सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1961 की धारा 55 और पंजाब सहकारी सोसायटी नियम, 1963 के नियम 51 और 55 को ध्यान से पढ़ने से पता चलता है कि पहले कोई विवाद होना चाहिए। इसके निपटारे के लिए रजिस्ट्रार को संदर्भित किया जा सकता है। विवाद के आवश्यक तत्व एक पक्ष द्वारा दावा और दूसरे पक्ष द्वारा उसका खंडन होगा। एक बार जब अधिनियम की धारा 55 द्वारा परिकल्पित प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो जाहिर तौर पर इसका एक पक्ष रजिस्ट्रार को संदर्भ दे सकता है। नियम 51 को पढ़ने से भी मामला अधिक स्पष्ट हो जाता है। इस नियम की भाषा का आवश्यक निहितार्थ यह है कि यह विवाद का केवल एक पक्ष है जो इसके निर्धारण की इच्छा रखता है, जो विवाद के सार और दूसरे के नाम और पते बताते हुए रजिस्ट्रार को लिखित रूप में आवेदन कर सकता है। पार्टी या प्रतिद्वंद्वी पार्टी. रजिस्ट्रार अधिनियम की धारा 55 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए दोनों पक्षों के बीच विवाद के संबंध में एक निश्चित निष्कर्ष देता है। वास्तव में इस क्षेत्राधिकार का मूल आधार तब उत्पन्न होता प्रतीत होता है जब एक पक्ष दूसरे के

विरुद्ध दावा करता है। इस प्रकार अधिनियम की धारा 55 के तहत केवल विवाद का एक पक्ष ही रजिस्ट्रार को संदर्भ दे सकता है और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। किसी सहकारी समिति के धन के दुरुपयोग से जुड़े मामले में, विवाद उस समिति और उस व्यक्ति के बीच कहा जा सकता है जिसने धन का दुरुपयोग किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सहकारी समिति एक न्यायिक व्यक्ति है और इसके सदस्यों से अलग एक स्वतंत्र इकाई है। जहां सोसायटी किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई मांग नहीं करती है और न ही अपनी ओर से किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए अधिकृत करती है, वहां रजिस्ट्रार के पास मामले में आगे बढ़ने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। (पैरा 3, 4 और 6).

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत सिविल रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि मामले के रिकॉर्ड मंगवाए जाएं और उनका अवलोकन किया जाए:-

(i) उत्तरदाताओं को सर्टिओरारी, परमादेश, निषेध या किसी अन्य रिट, आदेश या निर्देश की प्रकृति में एक रिट जारी की जाएगी जिसमें विवादित आदेश (पी/1) और अपील में निर्णय (पी/4) को रद्द किया जाएगा;

(ii) इस याचिका के अंतिम निपटान तक विवादित पुरस्कार (पी/1) और अपील में निर्णय (पी/4) के संचालन पर रोक लगाई जाए और उत्तरदाताओं को इस मामले में आगे बढ़ने से रोका जाए। याचिकाकर्ता की बरामदगी और गिरफ्तारी;

(iii) कृपया उत्तरदाताओं को नोटिस की सेवा से छूट दी जाए;

(iv) अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रतियों को दाखिल करने की भी छूट दी जाए; और

(v) याचिका और पिछली कार्यवाही की लागत भी याचिकाकर्ता को दी जाए।

याचिकाकर्ता के वकील प्रेम सिंह।

अवौबत सिंह, सीनियर डी.ए.जी. हरियाणा, जोर राज्य; और ए.एस. कुनाउ, अधिवक्ता जो प्रतिवादी संख्या 2 और 4 हैं।

निर्णय

1. एस. तिवाना, जे.

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने पंजाब सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1961 (बाद में अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 55 के तहत उसके खिलाफ शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही पर हमला किया है। हरियाणा राज्य, जिसके परिणामस्वरूप उनके खिलाफ रुपये का पुरस्कार दिया गया। 22,000 प्लस ब्याज और कार्यवाही की लागत। प्रारंभिक पुरस्कार सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जींद द्वारा रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिया गया था और उक्त पुरस्कार के खिलाफ सरकार के पास उनकी अपील भी उनके खिलाफ दी गई लागत की राशि में संशोधन के साथ विफल रही।

(2) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए कुछ परिणामों का प्राथमिक तर्क यह है कि इस मामले में अधिनियम की धारा 55 के तहत क्षेत्राधिकार संभालने के लिए रजिस्ट्रार के पास कोई उचित संदर्भ नहीं था। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ होशियारपुर सहकारी कृषि सेवा सोसायटी के सदस्य रत्ती राम द्वारा आरोप लगाए गए थे कि याचिकाकर्ता ने रुपये की राशि का दुरुपयोग किया था। 22,000. दरअसल याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत थी कि उसने रुपये निकाले थे. सदस्यों को अल्पावधि ऋण वितरित करने के लिए 16 मई, 1970 को जींद सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक से 22,000 रुपये प्राप्त किए, लेकिन वास्तव में ऐसा कोई ऋण वितरित नहीं किया गया था और याचिकाकर्ता द्वारा राशि का दुरुपयोग किया गया था। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता को इस हेराफेरी के लिए दोषी ठहराया गया है और एक वर्ष के कठोर कारावास और रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। ट्रायल कोर्ट द्वारा 2,000. सत्र न्यायाधीश के समक्ष उनकी अपील भी विफल रही, लेकिन उनके द्वारा दायर पुनरीक्षण पर मामला कायम हो गया 6 जनवरी, 1978 को उच्च न्यायालय द्वारा केवल सजा के प्रश्न पर याचिकाकर्ता को सुनवाई की अनुमति देने के संबंध में रिमांड पर लिया गया।

(3) विद्वान वकील का तर्क है कि अधिनियम की धारा 55 की आवश्यक शर्तों में से एक यह है कि रजिस्ट्रार के आगे बढ़ने से पहले सहकारी समिति के संविधान, संशोधन या व्यवसाय से संबंधित कोई विवाद होना चाहिए। मामले में अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने के लिए. उन्होंने बताया कि इस मामले में न तो सहकारी समिति और न ही उसके द्वारा

अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति ने याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कदम उठाया। रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करने वाले सहायक रजिस्ट्रार मामले में आगे बढ़ना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। संक्षेप में, उनका तर्क यह है कि रत्ती राम, हालांकि सहकारी समिति के सदस्य थे, विवाद में एक पक्ष नहीं थे। अपने तर्क का समर्थन करने के लिए, वह पंजाब सहकारी सोसायटी नियम, 1963 के नियम 51 और 55 पर भरोसा करते हैं। दूसरी ओर, प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से, श्री नौबत सिंह, वरिष्ठ उप महाधिवक्ता, हरियाणा, और श्री के.एस. कुंडू, उत्तरदाताओं 2 और 4 की ओर से, यह कहते हैं कि सोसायटी के मामलों में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति और विशेष रूप से उसका सदस्य इन कार्यवाही को शुरू कर सकता है या इसके आधार पर रजिस्ट्रार को एक संदर्भ दे सकता है। वह यानी रजिस्ट्रार मामले में आगे बढ़ सकते हैं. अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने लाखा सिंह बनाम रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, पंजाब, चंडीगढ़ और अन्य[1] (1) मामले में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा किया। प्रतिद्वंद्वी विवादों को हल करने के लिए अधिनियम और नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों का संदर्भ आवश्यक हो गया है। के अंतर्गत:- धारा 55 इस प्रकार है

"55. वे विवाद जिन्हें मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है:-

(1) किसी भी समय लागू कानून में किसी भी बात के बावजूद, यदि किसी सहकारी समिति के संविधान, प्रबंधन या व्यवसाय से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है

(ए) सदस्यों, पूर्व सदस्यों या सदस्यों, पूर्व सदस्यों और मृत सदस्यों के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्तियों के बीच, या

(बी) किसी सदस्य, पूर्व सदस्य या किसी सदस्य, पूर्व सदस्य और मृतक के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्तियों के बीच सदस्य और सोसायटी, उसकी समिति या सोसायटी का कोई अधिकारी, एजेंट या कर्मचारी, या परिसमापक अतीत या वर्तमान, या

(सी) सोसायटी या उसकी समिति और किसी पिछली समिति, किसी अधिकारी, एजेंट या कर्मचारी, या किसी पूर्व अधिकारी, पिछले एजेंट या पिछले कर्मचारी या किसी मृत अधिकारी, मृत एजेंट के किसी भी खानदान, उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधियों के बीच, या सोसायटी के मृत कर्मचारी, या

[1] A.I.R. 1973 Pb. and Haryana 13.

(डी) सोसायटी और किसी अन्य सहकारी सोसायटी के बीच, किसी सोसायटी और परिसमापक या किसी अन्य सोसायटी के बीच या एक सोसायटी के परिसमापक और किसी अन्य सोसायटी के परिसमापक के बीच ऐसा विवाद निर्णय के लिए रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा और कोई भी अदालत ऐसा नहीं करेगी। ऐसे विवाद के संबंध में किसी भी मुकदमे या अन्य कार्यवाही पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र

(2) ... .

(3).... ... .

नियम 51 और 55 इस प्रकार पढ़ें: -

51. विवादों का संदर्भ: जब धारा 55 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट विवाद का कोई पक्ष उक्त धारा के अनुसार विवाद का निर्धारण चाहता है, तो पक्ष रजिस्ट्रार को लिखित रूप में आवेदन करेगा, जिसमें उसका सार बताया जाएगा। विवाद और दूसरे पक्ष के नाम और पते ऐसे प्रारूप में जैसा रजिस्ट्रार समय-समय पर निर्धारित कर सकता है।

55. विवादों की सुनवाई. जैसा भी मामला हो, रजिस्ट्रार या मध्यस्थ, उपस्थित होने वाले पक्षों और गवाहों को सुनेंगे। ऐसे साक्ष्यों के आधार पर और किसी भी पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने के बाद, वह निर्णय या पुरस्कार देगा। जैसा भी मामला हो, न्याय, समानता और अच्छे विवेक के अनुसार। निर्णय या पुरस्कार को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, पार्टियों को घोषित किया जाएगा और रजिस्ट्रार के कार्यालय में दाखिल किया जाएगा। उपस्थित होने के लिए विधिवत बुलाए गए किसी भी पक्ष की अनुपस्थिति में, विवाद का एक पक्षीय निर्णय किया जा सकता है।"

इन प्रावधानों को बारीकी से पढ़ने से पता चलेगा कि इसके निपटारे के लिए रजिस्ट्रार को संदर्भ देने से पहले विवाद होना जरूरी है। विवाद के आवश्यक तत्व एक पक्ष द्वारा दावा और दूसरे पक्ष द्वारा उसका

खंडन होगा। एक बार जब अधिनियम की धारा 55 द्वारा परिकल्पित प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो जाहिर तौर पर इसका एक पक्ष रजिस्ट्रार को संदर्भ दे सकता है। नियम 51 को पढ़ने से भी मामला अधिक स्पष्ट हो जाता है। इस नियम की भाषा का आवश्यक निहितार्थ यह है कि यह विवाद का केवल एक पक्ष है जो इसके निर्धारण की इच्छा रखता है, जो विवाद के सार और दूसरे पक्ष के नाम और पते बताते हुए रजिस्ट्रार को लिखित रूप में आवेदन कर सकता है या प्रतिद्वंद्वी पार्टी. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि रजिस्ट्रार, अधिनियम की धारा 55 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, दोनों पक्षों के बीच विवाद के संबंध में एक निश्चित निष्कर्ष देता है। वास्तव में इस क्षेत्राधिकार का मूल आधार तब उत्पन्न होता प्रतीत होता है जब एक पक्ष दूसरे के विरुद्ध दावा करता है। मौजूदा मामले में, विवाद होशियारपुर सहकारी कृषि सेवा सोसायटी और याचिकाकर्ता रूप चंद के बीच कहा जा सकता है, जिनसे सोसायटी को राशि बकाया बताई जा रही है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि सहकारी समिति एक न्यायिक व्यक्ति है और इसकी एक स्वतंत्र या उसके सदस्य, यानी रत्ती राम, जिसने रजिस्ट्रार को संदर्भ दिया था, से अलग इकाई है।

(4) उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क निस्संदेह उचित है। सोसायटी ने कभी भी याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई मांग नहीं की और न ही रजिस्ट्रार को इस संबंध में कोई संदर्भ दिया। उत्तरदाताओं द्वारा जिस निर्णय पर भरोसा किया गया है, वह यह निर्धारित नहीं करता है कि कोई व्यक्ति, जो विवाद का पक्षकार नहीं है। अधिनियम की धारा 55 के तहत रजिस्ट्रार को संदर्भ भी दे सकता है। दूसरी ओर, इसमें जो कहा गया है वह यह है कि रजिस्ट्रार धारा 55 में उल्लिखित प्रकार के विवाद में स्वत: कार्रवाई नहीं कर सकता है। वह ऐसा केवल एक इच्छुक पार्टी द्वारा दायर याचिका पर ही कर सकता है। 'इच्छुक पक्ष' शब्द का अनिवार्यतः अर्थ विवाद में रुचि रखने वाला पक्ष होगा। यह फैसले में दिखाई देने वाली निम्नलिखित पंक्तियों से और भी स्पष्ट है: - "धारा 55 को पढ़ने से पता चलता है कि रजिस्ट्रार पर पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाले कुछ विशिष्ट प्रकार के विवादों के संबंध में मध्यस्थता का दावा करने वाली याचिकाएँ का संज्ञान लेने के लिए क्षेत्राधिकार के साथ निवेश किया गया है "

इस प्रकार यह निर्णय प्रतिवादी के बजाय याचिकाकर्ता के तर्क का समर्थन करता है।

(5) उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम याचिकाकर्ता के वकील की इस बात को बरकरार रखते हैं कि विवाद का केवल एक पक्ष ही अधिनियम की धारा 55 के तहत रजिस्ट्रार को संदर्भ दे सकता है और यह कोई भी व्यक्ति नहीं है, जो ऐसा कर सके.

(6) याचिकाकर्ता के पक्ष में ऐसा मानने के बावजूद, हम उसके द्वारा दावा की गई राहत देने के इच्छुक नहीं हैं, यानी रजिस्ट्रार द्वारा उसके खिलाफ सुनाए गए पुरस्कार और सरकार द्वारा उसकी पुष्टि को रद्द करना। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हमारे विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग। हम रिकॉर्ड के साथ-साथ अनुबंध पी-1 से पाते हैं, यानी, सहायक रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिया गया पुरस्कार और अनुबंध पी.4, सरकार के उप सचिव द्वारा पारित अपील में आदेश, कि याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए दावे, यानी रुपये की हेराफेरी को खारिज करने का उचित अवसर दिया गया था। सोसायटी के 22,000. अधिकारियों ने रिकॉर्ड और उनके सामने मौजूद सबूतों को देखने के बाद एक ठोस निष्कर्ष दिया है कि याचिकाकर्ता ने रुपये निकाले थे। उन्होंने जींद सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक से 22,000 रुपये निकाले और उसका हिसाब देने में असफल रहे। एक समय सोसायटी के अध्यक्ष रहे मोलू राम से प्राप्त शपथ पत्र के आधार पर सोसायटी के कैशियर मृतक मांगे राम को यह राशि देने के संबंध में उनकी याचिका को अधिकारियों ने स्वीकार नहीं किया है। हमें भी मृतक मांगे राम को रकम देने की यह दलील, जैसा कि मोलू राम ने गवाही दी है, आपराधिक मुकदमे में सजा से बचने की मजबूरी की दलील प्रतीत होती है जिसमें याचिकाकर्ता पहले से ही दोषी ठहराया गया है।

(7) इन सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम याचिकाकर्ता के पक्ष में अपने विवेक का प्रयोग करने से इनकार करते हैं और इस याचिका को खारिज करते हैं।

एस.एस. संधावालिया, सी.जे.-मैं सहमत हूं,

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

श्रेया बंसल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

अंबाला, हरियाणा